



स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण विधेयक, 2025

दोहरे उद्देश्य: राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना

5th दिसंबर, 2025

परिचय

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण विधेयक, 2025 एक विशेष सीमा शुल्क उपकरण के लिए एक साफ कानूनी तंत्र बनाने के लिए पेश किया गया है। विधेयक में सामान बनाने या बनाने के लिए लगाई गई मशीनरी या की जाने वाली प्रक्रिया पर, चाहे हाथ से या हाइब्रिड प्रक्रिया से किया जाए, उपकरण लगाने का प्रस्ताव है। इस उपकरण से होने वाली कमाई भारत के समेकित कोष (कंसोलिडेटेड फंड) में जाएगी और सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। शुरुआत में यह विधेयक पान मसाले पर लागू होगा, हालांकि, अगर जरूरी हुआ तो सरकार दूसरे सामानों पर भी उपकरण लगाने के लिए अधिसूचित कर सकती है।

यह विधेयक एक तकनीक कर संशोधन से कहीं ज्यादा है, जो एक व्यवस्थित, नियम-आधारित फ्रेमवर्क के जरिए स्थायी राजस्व पाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य यह पक्का करना है कि कुछ उत्पाद देश की प्राथमिकता में अपना सही योगदान दें, साथ ही ऐसे लेवी लगाने और प्रशासन में स्पष्टता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखें।

भरोसेमंद राजस्व प्रणाली के लिए क्षमता आधारित उपकरण

राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां, योजनाएं और कार्यक्रमों के लिए कोष के लक्षित और जवाबदेहीपूर्ण इस्तेमाल के साथ, इस विधेयक का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च को समर्न देने के लिए एक समर्पित-भरोसेमंद राजस्व विभाग बनाना है। विधेयक में खास सामान बनाने या उत्पादन पर क्षमता आधारित उपकरण लगाने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण विधेयक, 2025 इस बारे में एक विस्तृत और व्यवस्थित कानूनी तंत्र बताता है कि उपकरण कैसे लगाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, निगरानी की जाती है और लागू किया जाता है, जिसमें ऑडिट और अपील से जुड़े तंत्र शामिल हैं। विधेयक के

मुख्य तत्व एक साफ और कलॉज-आधारित प्रारूप में कवर किए गए हैं जो क्रियान्वयन के लिए आसान संदर्भ को बढ़ाते हैं।

तालिका 1: स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 के तहत थीम आधारित प्रावधान

थीम	प्रावधान
कवर किया गया सामान (खास सामान)	पान मसाला और कोई भी दूसरा सामान जैसा बताया गया है।
किसे देना होगा (कर योग्य व्यक्ति)	कोई भी व्यक्ति जो बताई गई चीजों को बनाने वाली मशीनों का मालिक है/उन्हें चलाता/कंट्रोल करता है, चाहे कर की स्थिति कुछ भी हो, जैसा बताया गया है।
लेवी का प्रकार (स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर)	लगाई गई मशीनें या किए गए प्रोसेस, कुछ खास शुल्क/कर के अलावा, जैसा बताया गया है।
कैलकुलेशन का आधार (क्षमता आधारित मासिक लेवी)	अधिकतम रेटेड स्पीड (पाउच/टिन प्रति मिनट) और प्रति पैक वजन, या मैनुअल प्रोसेस फ्लैट रेट, जैसा बताया गया है, के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है।
मासिक उपकर धनराशि (उल्लिखित दरों के हिसाब से)	मशीन ब्रेस्ट प्रोसेस के लिए: ₹101 लाख/महीना, जैसा बताया गया है/ (2.5 ग्राम तक के आइटम के लिए सेस - 500 तक, प्रति मिनट पाउच या टिन या कंटेनर की संख्या) मैनुअल प्रक्रिया के लिए: ₹11 लाख/महीना फ्लैट, जैसा बताया गया है।
एबेटमेंट (गैर संचालन के दौरान कमी)	15+ दिन लगातार रुकने पर छूट मिल सकती है।
प्राप्तियों का इस्तेमाल (राष्ट्रीय प्राथमिकता के लिए)	सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, भारत के समेकित कोष (कंसोलिडेटेड फंड) में जमा किया जाएगा।
पंजीकरण और रिटर्न (जरूरी अनुपालन)	मशीनों का पंजीकरण, स्व-घोषणा (सेल्फ-डिक्लोरेशन), महीने का रिटर्न और महीने की 7 तारीख तक भुगतान।
निगरानी और सत्यापन (निरीक्षण और ऑडिट)	जांच, ऑडिट, निरीक्षण/तलाशी/जब्ती।
अपराध (पेनल्टी, मुकदमा, जब्ती और गिरफ्तारी)	अपराध और सजा, जब्ती, गिरफ्तारी, ग्रेड जेल स्तर, जैसा बताया गया है।
अपील का ढांचा (बहु-स्तरीय उपाय व्यवस्था)	अपील अथॉरिटी → ट्रिब्यूनल → हाई कोर्ट → सुप्रीम कोर्ट- में अपील।

सरकारी शक्तियां (प्रशासनिक लचीलापन)	जनहित में उपकर 2x तक बढ़ा सकते हैं; कर योग्य लोगों को छूट दे सकते हैं; लागू और बताए गए अनुसार शेड्यूल। में सामान जोड़ सकते हैं।
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

असरदार तरीके से लागू करने के लिए प्रक्रियात्मक प्रारूप

विधेयक न सिर्फ यह बताता है कि कौन जिम्मेदार है और कितना उपकर देना है, बल्कि यह उन कदमों का एक साफ क्रम भी बताता है जिन्हें हर कर योग्य व्यक्ति को फॉलो करना होगा, मशीनों या प्रक्रिया के रजिस्ट्रेशन और घोषणा से लेकर, मासिक भुगतान और रिटर्न तक, और आखिर में स्क्रूटनी, एनफोर्समेंट और अपील तक। विधेयक में बताई गई स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया अनुपालन के सफर को आसान और प्रक्रियात्मक प्रारूप में दिखाती है, जो उससे जुड़े क्लॉज़ के साथ मिलाता है।

पंजीकरण: कोई भी व्यक्ति जो खास सामान बनाने वाली मशीनों या प्रोसेस का मालिक है/ऑपरेट करता है/कंट्रोल करता है, उसे सही अधिकारी के पास पंजीकरण करना होगा।

मशीनरी/प्रोसेस पैरामीटर्स की स्व-घोषणा: कर योग्य व्यक्ति को मशीनों/प्रोसेस की स्व-घोषणा जमा करनी होगी, जिसमें मैक्सिमम रेटेड स्पीड, हर पैक का वजन और पैकिंग का टाइप जैसे पैरामीटर शामिल हों।

सत्यापन/ कैलिब्रेशन: बताए गए विवरण को सही अधिकारी सत्यापित या कैलिब्रेट कर सकता है (सुनने का मौका देकर)।

उपकर की गणना: उपकर की गणना मशीन की क्षमता (पाउच/टिन प्रति मिनट) और हर पैक के वजन या मैनुअल प्रक्रिया के लिए एक फ्लैट मासिक दर के आधार पर की जाती है।

मासिक भुगतान और रिटर्न फाइलिंग: उपकर हर महीने की शुरुआत में देना होगा, लेकिन 7 तारीख के बाद नहीं और करदाता को मासिक रिटर्न फाइल करना होगा।

संचालन नहीं होने पर छूट: अगर कोई मशीन या यूनिट 15+ दिनों तक काम नहीं करती है, तो शर्तों के हिसाब से उपकर की रकम कम की जा सकती है।

रिव्यू, ऑडिट और असेसमेंट: जहां उपकर का भुगतान नहीं हुआ है या कम भुगतान हुआ है, वहां रिटर्न की जांच, ऑडिट और असेसमेंट के लिए नियम।

प्रवर्तन/एनफोर्समेंट: इसमें निरीक्षण, तलाशी, जब्ती, जब्त करना, गिरफ्तारी और नियमों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी शामिल है।

अनुपालन, प्रवर्तन और अपील का तंत्र

यह विधेयक एक व्यवस्थित अनुपालन तंत्र बनाता है जिसके तहत हर कर योग्य व्यक्ति को पंजीकरण करना होगा, मशीन और प्रोसेस का विवरण खुद बताना होगा और लागू उपकर भुगतान के साथ मासिक रिटर्न फाइल करना होगा। मजबूत अनुपालन तंत्र रिटर्न की स्क्रूटनी, ऑडिट और रिपोर्टिंग में सटीकता और पारदर्शिता पक्की करने के लिए तकनीक और निगरानी के मैकेनिज्म के इस्तेमाल से निगरानी

को और मजबूत करता है। रिटर्न जमा न करने, जरूरी घोषणा न करने या उपकर का भुगतान न करने पर भी खास अनुपालन नतीजे भुगतने होंगे।

अन्य समावेशन

राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) तंत्र दिया गया है, जिसमें तलाशी, निरीक्षण, जब्ती, सामान और मशीनरी की जब्ती, बकाया वसूली, पेनल्टी और गंभीर उल्लंघन में गिरफ्तारी शामिल है।

विधेयक को अच्छे से लागू करने के लिए, उल्लंघन की प्रकृति और व्यापकता के आधार पर एक ग्रेडेड पेनल्टी ढांचा बताया गया है। बिना बताए मशीन चलाना, सेस की चोरी, रिकॉर्ड में हेराफेरी, अधिकारियों के काम में रुकावट डालना या धोखाधड़ी से रिफंड देने जैसे अपराधों के लिए जुर्माना, जेल और जब्ती जैसी सज्जा हो सकती है।

पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, एक मल्टी-टियर अपील मैकेनिज्म पर भी जोर दिया गया है, जिससे चैलेंजेस को अपील अथॉरिटी से अपील ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकेंगे। इस प्रक्रिया में, प्रवर्तन की शक्ति को लागू करने के लिए पुलिस, सीमा शुल्क, रेलवे, भूमि-राजस्व और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्थिर और पारदर्शी राजस्व चैनल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक मजबूत अनुपालन और प्रवर्तन तंत्र के समर्थन से क्षमता आधारित लेवी स्ट्रक्चर को अपनाकर, यह विधेयक राजस्व जुटाने में अंदाजा लगाना पक्का करता है, साथ ही निगरानी के जरिए जवाबदेही भी बनाए रखता है। यह एक संतुलित तरीका भी देता है जो प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक, कानूनी रूप से सही और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़ा हुआ है।

संदर्भ:

LOK SABHA:

<https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/Asintro1212025124117PM.pdf?source=legislation>

<https://sansad.in/lis/legislation/bills>

OTHERS:

<https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/8774/1/a197551.pdf>

पीके/कैसी/एमपी